संख्या-59/2023/ /001-846-23-12-2023-846-2023

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 **लखनऊ: दिनांक 29 सितम्बर 2023**

विषय: जनपद शाहजहाँपुर में मीरानपुर कटरा के अन्तर्गत लखनऊ-दिल्ली-मुरादाबाद मार्ग पर कटरा-निगोही के सम्पार सं0-341एसपीएल पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण कार्य के संबंध में।

महोदय

मुख्य अभियन्ता(सेतु) लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्रांक-858/प्रा0आगणन-शाहजहाँपुर(सम्पार सं0-341एसपीएल)/सेतु-6/2023-24, दिनांक 09/15.06.2923 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सी0आर0आई0एफ0 योजनान्तर्गत जनपद शाहजहाँपुर में मीरानपुर कटरा के अन्तर्गत लखनऊ-दिल्ली-मुरादाबाद मार्ग पर कटरा-निगोही के सम्पार सं0-341एसपीएल पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य के लिये कुल रू0 6879.61 लाख (रूपये अड़सठ करोड़ उन्यासी लाख इकसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में विवरण तालिका में अंकित उक्त कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 1719.90 लाख (रूपये सत्रह करोड़ उन्नीस लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। परियोजना का विवरण निम्नवत है :-

क्रम स0	क्षेत्र का नाम	जनपद का नाम	विधान सभा क्षेत्र का नाम	लोक सभा का नाम	कार्य का नाम	रेल उपरिगामी सेतु की अनुमानित		ई0एफ0सी0 द्वारा स्वीकृत धनराशि	प्रस्तावित आवंटन (रू0 लाख में)
						लम्बाई (मी0)	लागत (रू0 लाख में)		
1	बरेली	शाहजहाँपुर	कटरा	शाहजहाँपुर	जनपद शाहजहाँपुर में मीरानपुर कटरा के अन्तर्गत, लखनऊ-दिल्ली-मुरादाबाद मार्ग पर कटरा-निगोही के सम्पार सं0-341 एसपीएल पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु।	727.108	6884.81	6879.61	**1719.90**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो। कार्य को समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) स्वीकृत किये जा रहे उक्त कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी कार्य योजना में सम्मिलित है ।

(7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-11(4)/75 दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-1606/दस-2011-11(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक-1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) उक्त कार्यों पर होने वाले व्यय की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर भारत सरकार को भेजी जायेगी तथा उक्त कार्य के पूरा होने के उपरान्त लेखापरीक्षा कराकर विधिवत पूर्णता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाय।

(10) भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के शासनादेश सं0-सीई-आर0ओ0/एलकेओ/सीआरएफ/एम0ओ0यू0/2022-23/1128(क0नं0-212036) दिनांक 11-10-2022 में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(12) प्रायोजनान्तगर्त प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर पी0एल0ए0 डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी।

(15) प्रश्नगत रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 होगी।

(16) प्रश्नगत कार्य को इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है कि कार्य तभी प्रारम्भ किया जायेगा जब सम्बन्धित पक्षों से एम0ओ0यू0 अनुमोदित हो जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(17) प्रायोजना में सेतु निर्माण के अंतर्गत 0.88 हे0 भूमि अधिग्रहण हेतु रू0 172.48 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। भूमि अर्जन की कार्यवाही काला (कम्पीटेंट आथारिटी फार लैण्ड एक्वीजीशन) के माध्यम से न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(18) प्रायोजन में यूटिलिटी शिफिटंग के अंतर्गत विद्युत विभाग हेतु रू0 23.52 लाख, वन विभाग हेतु रू0 21.67 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। इन कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने स्तर से यूटिलिटी शिफिटंग के प्रस्तावित कार्यों का विस्तृत विवरण के आधार पर Verification & revalidation कराते हुए कार्य कराया जाना सुनिश्चित एवं तदनुसार यूटिलिटी शिफिटंग की लागत अनुमन्य की जायेगी। विद्युत विभाग की शिफिटंग का कार्य एनएचएआई के मानकों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(19) प्रायोजना 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गई है। प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(20) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासनिक विभाग का होगा।

(21) प्रायोजना की लागत का अनुमोदन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(22) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। आर0ओ0बी0 निर्माण की जी0ए0डी0, लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, आर0ई0वाल एबेटमेन्ट आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा।

(23) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(24) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/ दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये रू0 1719.90 लाख (रूपये सत्रह करोड़ उन्नीस लाख नब्बे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041010518 केन्द्रीय मार्ग आधारभूत संरचना निधि (सी.आर.आई.एफ) पोषित आर.ओ.बी./आर.यू.बी. निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-8-606-एक्स-2023-24, दिनांक 19-09-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-59/2023/001-846(1)-23-12-2023-846-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 लोक निर्माण मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

2- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।

4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

5- सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, परिवहन भवन-1, ससंद मार्ग, नई दिल्ली को उनके पत्र सं0-सीई-आर0ओ0/एलकेओ/सीआरआईएफ/एम0ओ0यू0/2022-23/1128(क0नं0-212036), दिनांक 11-10-2022 के संदर्भ में।

6- मण्डलायुक्त, लखनऊ/ जिलाधिकारी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

7- मुख्य अभियन्ता(मु0-1/सेतु), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

8- केन्द्रीय सहायता अनुभाग,वित्त विभाग।

9- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 लखनऊ।

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 लखनऊ।

12- लोक निर्माण अनु0-10, उ0प्र0 लखनऊ।

13- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, नवीन भवन।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।